पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास निवेश कार्यक्रम (परियोजना ३)

हिमाचल प्रदेश राज्य

पर्यावरण आकलन दस्तावेज

प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा

एडीबी ऋण संख्या ३२२३-IND

परियोजना संख्या: ४०६४८

अंश ३

हेरिटेज जोन, शिमला में बैंटोनी कैसल का संरक्षण / बहाली और पुनर्वास। (पैकेज संख्या एचपीटीडीबी/ १६/६)

जनवरी २०१८

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा तैयार

यह आईईई उधारकर्ता का दस्तावेज है। यह जरूरी नहीं की इसमें व्यक्त विचार एडीबी के निदेशक मंडल, प्रबंधन या कर्मचारियों के हो

कार्यकारी सारांश

१. **पृष्ठभूमि:** पर्यटन वित्तपोषण सुविधा (सुविधा) के लिए बुनियादी ढांचा विकास निवेश कार्यक्रम हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और तमिलनाडु के चार भाग लेने वाले राज्यों में बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं का विकास और सुधार करेगा, जो आर्थिक विकास के लिए प्रमुख चालक के रूप में पर्यटन क्षेत्र का समर्थन करेगा। इस कार्यक्रम में निम्नलिखित बातों पर ध्यान दिया जाएगा: (१) प्रमुख पर्यटन स्थलों के बीच संपर्क को मजबूत करना; (२) बुनियादी शहरी ढांचे और सेवाओं में सुधार करना, जैसे कि पानी की आपूर्ति, सड़क और सार्वजनिक परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और मौजूदा और उभरते पर्यटन स्थलों पर पर्यावरण में सुधार, ताकि आगंतुकों के लिए शहरी सुविधाएं और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और प्रकृति और संस्कृति-आधारित आकर्षणों की रक्षा की जा सके; (३) पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रबंधन के लिए संबंधित क्षेत्र की एजेंसियों और स्थानीय समुदायों के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम, और क्रमशः पर्यटन से संबंधित आर्थिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना।

२. शिमला एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और देश-विदेश के पर्यटकों को आकर्षित करता है। शिमला को १९ वीं शताब्दी के पहले भाग में ब्रिटिशों द्वारा औपनिवेशिक काल में उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। उनके जाने से पहले ही शिमला ने वैश्विक ख्याति प्राप्त कर ली थी। अंग्रेजों ने वाइस रीगल लॉज, गॉर्टन कैसल, रेलवे बोर्ड बिल्डिंग, गेयटी थियेटर, टाउन हॉल, ऑकलैंड हाउस, एलर्जली, बार्न्स कोर्ट, बंगले, महल, कॉटेज, चर्च और स्कूल जैसे कई वास्तुशिल्प सर्वोत्कृष्ट स्थापित किए थे।

३. बैंटोनी कैसल को अब भी शहर के सांस्कृतिक परिदृश्य में सबसे प्रसिद्ध प्रतीक माना जाता है। धरोहर सूची का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होने के अलावा, यह इमारत शहर की एक महत्वपूर्ण विशेषता है और शिमला की विरासत समिति द्वारा निर्दिष्ट हेरिटेज ज़ोन के अंतर्गत आती है। अंश १ में मॉल सड़क बहाली परियोजना शुरू की गई थी, जहां शहर की मुख्य रीढ़ यानी मॉल रोड और रिज को कवर किया गया है। अंश २ के तहत, मॉल रोड की बहाली (विस्तारित स्ट्रेच) को एक परियोजना के रूप में लिया गया है, जिसमें सभी संपर्क सड़कों के उन्नयन (मॉल रोड से जुड़े लगभग १२ किमी खंड) शामिल हैं, जबकि टाउन हॉल की बहाली और क्राइस्ट चर्च का संरक्षण अंश ३ में शामिल हैं ।बैंटोनी कैसल इमारत एडीबी परियोजनाओं के तहत माने जाने वाले क्षेत्र में स्थित है।परियोजना क्षेत्र के लिए एक समावेशी मास्टर प्लान का एक हिस्सा है और मास्टर प्लान के व्यापक पहलुओं को चित्रित करती है।

४. **निष्पादन और कार्यान्वयन एजेंसियां:** निष्पादन एजेंसी, पर्यटन और नागरिक उड्डयन, हिमाचल प्रदेश का एक विभाग है। समग्र निष्पादन को समन्वित करने के लिए शिमला में एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) स्थापित की गई है और परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) निष्पादन में पीएमयू को सहायता प्रदान करता

है। बैंटनी कैसल के संपत्ति के मालिक भाषा और संस्कृति विभाग हैं। बहाली कार्यों के लिए एक एनओसी प्राप्त की गई है और अनुलग्नक -1 के रूप में संलग्न है।

५. **वर्गीकरण:** उप-परियोजना पैकेज एचपीटीडीबी/ १६/६ को एसपीएस २००९ के अनुसार पर्यावरण श्रेणी बी के रूप में वर्गीकृत किया गया है क्योंकि यहाँ पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव की कल्पना नहीं की गई है। तदनुसार यह प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षा (आएईई) तैयार की गई है जो पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन करती है और यह सुनिश्चित करती है कि शमन और नियंत्रण उपायों को प्रदान करके सबप्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप कोई महत्वपूर्ण प्रभाव न हो।

६. **उप-परियोजना दायरा:** विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार इस उप-परियोजना का प्रमुख कार्यक्षेत्र है: भवन संरचनाओं का संरक्षण और जीर्णोद्धार, संग्रहालय विकास और स्थल विकास।

७. **पर्यावरण का वर्णन:** बैंटनी कैसल के उप-परियोजना घटक शिमला शहर के शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं। शिमला कोपेन जलवायु वर्गीकरण के तहत एक उपोष्णकटिबंधीय उच्चभूमि जलवायु पेश करता है। शिमला में जलवायु मुख्यतः सर्दियों के दौरान ठंडी होती है और गर्मियों के दौरान मध्यम रूप से गर्म होती है। वर्ष के दौरान तापमान आमतौर पर -४°C (२५°F) से ३१°C (८८° F) तक होता है। गर्मियों के दौरान औसत तापमान १९°C (६६°F) और २८°C (८२°F) और सर्दियों में -१°C (३०°F) और १०°C (५०°F) के बीच होता है। शिमला में शिमला वाटर कैचमेंट वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी है, लेकिन प्रस्तावित घटक केवल बैंटोनी कैसल की बहाली परियोजना है, इसलिए प्रस्तावित कार्यों के कारण कोई नकारात्मक प्रभाव अपेक्षित नहीं है। उप-परियोजना स्थानों में या उसके आस-पास कोई संरक्षित क्षेत्र, आर्द्रभूमि, मैंग्रोव या मुहाना नहीं हैं।

८. **पर्यावरण प्रबंधन:** एक पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी) को आएईई के भाग के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (१) कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरणीय प्रभावों के लिए शमन उपाय; (२) एक पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम, और शमन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार संस्थाएँ; (३) सार्वजनिक परामर्श और सूचना प्रकटीकरण; और (४) शिकायत निवारण तंत्र। डिजाइनों में संशोधन करके कई प्रभावों और उनके महत्व को पहले ही कम कर दिया गया है। ईएमपी को सिविल वर्क बिडिंग और अनुबंध दस्तावेजों में शामिल किया जाएगा।

९. प्रभावों को कम करने के लिए प्रस्तावित अवसंरचनाओं के स्थान और स्थलों पर विचार किया गया है। प्रस्तावित उप-परियोजना के डिजाइन में निम्नलिखित अवधारणाएं पर विचार किया गया है (१) डिजाइन, सामग्री और पैमाने स्थानीय वास्तुशिल्प, भौतिक, सांस्कृतिक और भूनिर्माण तत्वों के अनुरूप होंगी; (२) यथासंभव स्थानीय सामग्री और श्रम के उपयोग को प्राथमिकता दी जाएगी; (३) संरक्षण के लिए, आस-पास के क्षेत्र में उपलब्ध स्थानीय निर्माण सामग्री का यथासंभव उपयोग किया जाएगा; (४) सभी पेंटिंग कार्य (आंतरिक और बाहरी) पर्यावरण के अनुकूल कम वाष्पशील कार्बनिक यौगिक पेंट के साथ होंगे; (५) यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए

कि साइट चयन के लिए सभी योजना, डिजाइन और निर्णय सार्वजनिक परामर्श और प्रकटीकरण से इनपुट को प्रतिबिंबित करके और स्थानीय समुदायों के परामर्श से लिए जाएं।

१०. निर्माण के चरण के दौरान, वनस्पति के नुकसान का जोखिम मुख्य रूप से बेकार मिट्टी और विध्वंस सामग्री की मात्रा के निपटान की आवश्यकता से उत्पन्न होता है। यह शहरी क्षेत्रों में निर्माण का सबसे आम प्रभाव है, उनके शमन के लिए अच्छी तरह से विकसित तरीकों को लागू किया जाता है। यह अनुशंसा की जाती है कि निर्माण कार्य ऐसे समय में किए जाएं जब कोई फसल न उगाई जाती है और किसी भी असुविधा को कम करने के लिए सर्वोत्तम निर्माण विधियों को नियोजित किया जाए। परिचालन चरण में, सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचे नियमित रखरखाव के साथ काम करेंगे, जिससे पर्यावरण को कोई प्रभाव नहीं पड़े। मरम्मत का काम भी समय-समय पर किया जाएगा। इस वजह से पर्यावरण पर प्रभाव बहुत कम होगा क्योंकि निर्माण कार्य नियमित नहीं होगा और इस तरह केवल छोटे क्षेत्रों पर असर पड़ेगा।

११. सभी नकारात्मक प्रभावों को स्वीकार्य स्तर तक कम करने के लिए शमन उपाय विकसित किए गए हैं। निर्माण के दौरान किए जाने वाले पर्यावरण निगरानी के एक कार्यक्रम द्वारा, शमन सुनिश्चित किया जाएगा। पर्यावरण निगरानी कार्यक्रम यह सुनिश्चित करेगा कि सभी उपायों को लागू किया जाए और यह निर्धारित किया जाए कि पर्यावरण अच्छी तरह से संरक्षित है या नहीं। इसमें साइट पर और ऑफ-साइट दस्तावेज़ जांच, श्रमिकों और लाभार्थियों के साथ साक्षात्कार शामिल होंगे। सुधारात्मक कार्रवाई के लिए आवश्यकताओं पर एडीबी को सूचित किया जाएगा।

१२. आईईई को हितधारकों द्वारा औन- साइट चर्चा और सार्वजनिक परामर्श के माध्यम से विकसित किया गया था। व्यक्त किए गए विचार आईईई में और उप-परियोजना की योजना और विकास में शामिल किए गए थे। आईईई को शहर के सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध कराया जाएगा जिसके लिए एडीबी और हिमाचल प्रदेश पर्यटन वेबसाइटों का उपयोग किया जाएगा। परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान परामर्श प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और उसमें विस्तार किया जाएगा ताकि हितधारक परियोजना में पूरी तरह से व्यस्त रहे तथा इसके विकास और कार्यान्वयन में भाग लेने का पूरा अवसर हो।

१३. शिमला क्षेत्र के पर्यटक, व्यवसायी और नागरिक इस परियोजना के प्रमुख लाभार्थी होंगे। शहर के पर्यटकों और आबादी के लिए सबसे अधिक ध्यान देने योग्य पर्यावरणीय लाभ, सकारात्मक और बड़े होंगे क्योंकि प्रस्तावित उप-परियोजना विश्वसनीय और पर्याप्त पर्यटन सुविधाओं तक पहुंचने में सुधार करेगी और राज्य की स्थानीय परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत का प्रचार करेगी। यह उप-परियोजना स्थानीय परंपराओं और मूल्यों के लिए एक सामान्य मंच भी प्रदान करेगी, जो स्थानीय समुदायों के लिए व्यावसायिक अवसरों को प्रदान करने और सुधारने के लिए सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत पर्यटन से जुड़ी होगी।

१४. **परामर्श, प्रकटीकरण और शिकायत निवारण:** परियोजना और आएईई की तैयारी में सार्वजनिक परामर्श किया गया था। परियोजना के कार्यान्वयन की अवधि के दौरान भी नियमित परामर्श होंगे। एक शिकायत निवारण तंत्र IEE के भीतर परिभाषित किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि किसी भी सार्वजनिक शिकायतों को जल्दी से दूर किया जाए।

१५. **निगरानी और रिपोर्टिंग:** पर्यावरण निगरानी के लिए पीएमयू, पीआईयू, पीएमसी और डीएससी जिम्मेदार होंगे। डीएससी के साथ समन्वय में पीआईयू मासिक निगरानी रिपोर्ट पीएमयू को सौंपेगी और उसके बाद अर्ध वार्षिक आधार पर एडीबी को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। एडीबी अपनी वेबसाइट पर पर्यावरण निगरानी रिपोर्ट पोस्ट करेगा। गंभीर पर्यावरणीय परिणामों वाले किसी भी बड़े हादसे की सूचना तुरंत दी जाएगी। पीएमसी पर्यावरण विशेषज्ञ पर्यावरण प्रगति रिपोर्ट तैयार करने में मदद करेंगे।

१६. **निष्कर्ष और सुझाव:** प्रस्तावित उप-परियोजना के कारण कोई महत्वपूर्ण और प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। डिजाइन, निर्माण और संचालन से जुड़े संभावित प्रभावों को उचित इंजीनियरिंग डिजाइन और अनुशंसित शमन उपायों और प्रक्रियाओं के निगमन या आवेदन के माध्यम से कठिनाई के बिना मानक स्तर तक कम किया जा सकता है। आईईई के निष्कर्षों के आधार पर, उप-परियोजना का कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं होगा क्योंकि यह वर्गीकरण की श्रेणी बी में आता है। कोई और विशेष अध्ययन या विस्तृत पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए), एडीबी एसपीएस-१००९ या भारत सरकार ईआईए अधिसूचना १००६ के अनुपालन के लिए किए जाने की आवश्यकता नहीं है।